RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2525/2025

Vikram Singh S/o Shri Mohan Singh, Aged About 20 Years, Resident Of Village Luniyara, Ps Falasiya, District Udaipur, Raj. (Lodged In Central Jail, Udaipur)

----Appellant

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Ku. Pushpa Kumari D/o Shri Huriya Alias Huri Lal, Resident Of Village Luniyara Ps Falasiya District Udaipur Raj.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Shambhoo Singh Rathore Mr. Hitendra Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Hathi Singh Jodha, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

13/03/2026

01. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह दाण्डिक अपील अन्तर्गत धारा 14–ए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पुलिस थाना फलासिया, जिला उदयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 152/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 87, 127(2), 70(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(2)(V) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 27.10.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

02. बहस अपील पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में विचारण के दौरान पीड़िता के बयान बतौर गवाह पी.डब्ल्यू.1 हो चुके हैं। पीड़िता को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। पीड़िता अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करती है और घरवालों के दबाव में आकर मुकदमा दर्ज करवाना बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त विक्रमसिंह को जानने से भी इनकार किया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अतः इस आधार पर दाण्डिक अपील स्वीकार कर अपीलार्थी/अभियुक्त को रिहा किये जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए दाण्डिक अपील को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधनीपूर्वक अवलोकन किया। पीड़िता पी.डब्ल्यू.01 के न्यायालय के बयान का अवलोकन किया गया, जो पक्षद्रोही घोषित हुई है और सह–अभियुक्त के विरुद्ध भी कोई साक्ष्य नहीं दी और प्रार्थी/अभियुक्त के संबंध में यह कहा है कि वह उसे जानती तक नहीं है और स्पष्ट रूप से विशिष्ट लोक अभियोजक की जिरह में प्रार्थी/अभियुक्त विक्रम सिंह द्वारा कोई खोटा काम करना नहीं बताया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. अतः बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति, तथ्यों, परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस न्यायालय की राय में अपीलार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

07. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्र) उदयपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 27.10.2025 को अपास्त किया जाता है और यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त **विक्रम सिंह पुत्र मोहनसिंह,** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

50-GauravG/-